

कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा ।


वाद अभिलेख सं० 288/1118 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं० से तक

वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्र. तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
20/12/17	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू०-अर्जन-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा <u>डोय्या</u> थाना <u>डोय्या</u> खाता सं० <u>221</u> प्लॉट सं० <u>-</u> रकबा <u>224</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० पृष्ठ सं० पर जमाबंदी रैयत <u>सिंहा</u> पिता/पति का नाम से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू०-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>15.1.18</u> को उपस्थापित करें।</p>	

लेखापित एवं संशोधित


 अंचल अधिकारी
 तोरपा


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई
कार्रवाई टिप्पणी
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

12.11.2020 राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी / हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान / वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा सोहरा के पंजी II में के वॉल्युम सं० II के पृष्ठ सं० 119 में चिन्तामणी कल के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आलोक में मौजा सोहरा के पंजी II के भाग सं० II पृष्ठ सं० 119 में चिन्तामणी कल के नाम से कायम जमाबंदी के विरुद्ध भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 H के तहत प्रारंभ की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। भविष्य में विभागीय नियमों / उच्चतर न्यायालय के आदेश आदि के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।


अंचल अधिकारी
तोरपा

से,
संचल अधिकारी, तोरपा

विषय: वाद सं 288/16-17 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहे गए हैं कि


वैयत चिन्तामनी कर पिता- खगेश्वर कर के नाम
से माँजा- डोंडा के खाना सं- 221 ^{व. II पृष्ठ सं- 0119} _{एलार सं-}
2834, कुल रकवा 4.48, मध्ये रकवा 2.24 एकर
की जमाबंदी कायम है। विहार (आरकष) अधिनियम
सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत
कार्रवाई की गई। वादी चिन्तामनी कर के वंशज
द्वारा कायम जमाबंदी के रूप में निर्मांकित
दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

- (1) शुद्धि पत्र (संचल अधिकारी, तोरपा द्वारा सफल खोज)
- (2) लगान रशीद वर्ष 2008-09 की द्वाया प्रति।

दस्तावे में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों
की जांच की गई। जांच के उपरान्त निर्मांकित
तद्वय लागू आड़ी।

- (1) पुराना पंजी- II में वर्ष 1983-84 से लगान वसूली।
- (2) पुराना पंजी- II में दार खार मुठ सं 513 (II) ^{जाया गया} ₈₃₋

अतः संचल अधिकारी तोरपा के
द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र के आधार पर नियमितरूप
किया जा सकता है।


R.S.I

लामुके के पूर्व संचल अधिकारी
द्वारा उत्तराधिकार के द्वारा
C.T